

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग रायपुर  
अधिसूचना

कमॉक 660 भू अर्जन / 2016

रायपुर दिनांक 29/4/2017

भूमि अर्जन पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित हैं अर्थात :-

भूमि का विवरण				लोक प्रयोजन का विवरण	
जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल खसरा नम्बर रकबा(हे.में )		
1	2	3	4	6	
रायपुर	आरंग	नरदहा	767	0.15	नरदहा दांदेकला मार्ग निर्माण
			780	0.08	
			781	0.09	
			782	0.01	
			1207/2	0.03	
			1207/3	0.03	
			1207/4	0.02	
			1207/5	0.03	
			योग	-8	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई दिनांक 25/5/2017 को समय 11.30 बजे स्थान ग्राम नरदहा पंचायत भवन पर नियत की गई हैं। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :-

- 1:- क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है । -- हाँ
  - 2:- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कुटुम्बों की संख्या का आंकलन एवं विस्तृत विवरण । -- 08
  - 3:- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कुटुम्बों की संख्या का आंकलन एवं विस्तृत विवरण । -- निरंक
  - 4:- विस्थापित होने वाले कुटुम्बों की संख्या का आंकलन एवं विस्तृत विवरण, किस रूप में -- निरंक प्रभावित होंगे ।
  - 5:- प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने वाले शासकीय, सार्वजनिक निजी भूमि, -- निरंक मकान, अन्य सम्पत्तियाँ आदि ।
  - 6:- क्या अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबे को कम किया जा सकता है । -- नहीं
  - 7:- क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर, भूमि अर्जन करने पर विचार हुआ है, -- हाँ और वह अनुपयोगी पाया गया है ।
  - 8:- परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति तथा रू० 5.00 लाख ठीक करने में आने वाले व्यय का अध्ययन ।
  - 9:- परियोजना का कुल व्यय । अनुमानित राशि रू० 64.20 लाख
  - 10:- परियोजना से होने वाले लाभ । भू अर्जन उपरान्त सुगम एवं सरल आवागमन की सुविधा ।
  - 11:- परियोजना से प्रभावित होने वाले अन्य घटक -- निरंक
- उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी सुझाव देना हो तो विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी ।

( ओम प्रकाश चौधरी )

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग रायपुर (छ0ग0)

पृ०क० क्रमोंक 46<sup>१</sup> अर्जन / 2017 / 317

रायपुर दिनांक 29/4/2017

3/5/17

प्रतिलिपि:-

- 1:- प्रमुख सचिव, छ०ग०शासन राजस्व एवं आपदा प्रबुधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर जिला रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2:- आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 3:- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 4:- कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग विधान सभा संभाग रायपुर को सूचनार्थ अधिसूचना का प्रकाशन 2 स्थानीय समाचार में तत्काल प्रकाशन हेतु अग्रेषित । प्रभावितों व्यक्तियों को सूचित करते हुये सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर स्थानीय निकाय से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ।
- 5:- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय छत्तीसगढ राजनौदगौव को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
- 6:- प्रभारी अधिकारी एन.आई सी रायपुर वेबसाईट पर अपलोड हेतु अग्रेषित । - (15)
- 7:- तहसीलदार आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिका निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें ।
- 8:- सचिव, ग्राम पंचायत नरदहा तहसील आरंग को सूचनार्थ । उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में कराने एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु सूचनार्थ ।
- 9:- सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सुनवाई दल के गठित दल अध्यक्ष, सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

( ओम प्रकाश चौधरी )

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

छ०ग०शासन छत्तीसगढ राजस्व विभाग रायपुर (छ०ग०)




भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सूची


प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-नरदहा प.ह.नं. - 80/1 रा.नि.म.-मंदिर हसौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित निजी भूमि जिसका खसरा नंबर एवं रकबा निम्नानुसार है -

नरदहा		
क.	खसरा नं.	रकबा
1	767	0.15
	780	0.08
2	781	0.09
3	782	0.01
4	1207 / 2	0.03
5	1207 / 3	0.03
6	1207 / 4	0.02
7	1207 / 5	0.03
	योग	0.44 हेक्टेयर

नरदहा-दोंदेकला मार्ग निर्माण हेतु उक्त निजी भूमि का अर्जन किया जा रहा है जिसमें भू-अर्जन हेतु राशि रु. 64.20 लाख का व्यय संभावित है। चूंकि उक्त भू-अर्जन उपरांत नरदहा-दोंदेकला मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सकेगा जिसके उपरांत ग्राम-नरदहा, पचेड़ा, चंदखुरी, धनसुली, चटौद, खपरी आदि को आवागमन हेतु सरल एवं सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध हो सकेगी।

  
उप-अभियंता  
2-842

  
अनुविभागीय अधिकारी  
लो.नि.वि. विधानसभा उपसंभाग  
रायपुर (छ.ग.)

  
कार्यपालन अभियंता  
लो.नि.वि. विधानसभा संभाग  
रायपुर (छ.ग.)